मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 12/09/2023

क्र. IPI/5/0026/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स आरपीएसपीएल प्रा. लि. द्वारा डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी, जिला - उज्जैन में रूपये 240.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से नॉन-डेयरी उत्पाद जैसे व्हिप्ड टॉपिंग, कुकिंग क्रीम, जेल्स आदि निर्माण हेतु खाद्य प्रसंस्करण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2206240002) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर खाद्य प्रसंस्करण गणक एवं रोजगार गणक को सम्मिलित करते हुये 33 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. **स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति -** परियोजना हेतु लीज पर प्राप्त की गई भूमि के पट्टाविलेख पर चुकाई गयी स्टांप ड्यूटी की 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रूपये 30 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाये।

5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

6. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

7. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम**
**से तथा आदेशानुसार**

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर .......

पृ. क्र. IPI/5/0026/2022/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 12/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. कलेक्टर, जिला- उज्जैन।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स आरपीएसपीएल प्रा. लि., Plot No. J-177, Pimpri Chinchwad Industrial Area, MIDC, Bhosari, Pune - 411026.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग